लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2352

01 अगस्त, 2016 को उत्तर के लिए

इस्पात उत्पादों हेतु बीआईएस निशान

2352. कुमारी शोभा कारान्दलाजे:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की अनिवार्य प्रमाणन चिन्ह योजना, जो अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की गारंटी देता है कि सभी अधिसूचित उत्पाद संगत भारतीय मानकों के अनुरूप होने चाहिएं, के अंतर्गत मानव स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव वाले और आवास, निर्माण और अवसंरचना के लिए महत्वपूर्ण कई इस्पात उत्पादों को अधिसूचित करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बीआईएस ने देश में अधिसूचित विभिन्न इस्पात उत्पादों के संबंध में लाइसेंस दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने, कि देश में सभी इस्पात विनिर्माता स्वयं को बीआईएस से पंजीकृत कराएं, के लिए क्या तंत्र मौजूद है/अपनाया गया है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री विष्णु देव साय)**

(क): इस्पात मंत्रालय ने बीआईएस अधिनियम 1986 के तहत बी आई एस की मैन्डेटोरी सर्टिफिकेशन मार्क्स स्कीम के अन्तर्गत 34 इस्पात उत्पादों को पहले ही अधिसूचित कर दिया है। इनमें से 16 कार्बन स्टील उत्पादों को दिनांक 12.3.2012 के राजपत्र अधिसूचना सं. एस.ओ.414 (ई) और एस.ओ 415(ई) के तहत अधिसूचित किया गया। आदेश 15 कार्बन स्टील उत्पादों पर पहले से लागू हो चुका है। इसके अतिरिक्त, 15 उत्पादों को शामिल करते हुए दिनांक 18.12.2015 के राजपत्र अधिसूचना सं. एस.ओ. 3458 (ई) के तहत दूसरा इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किया गया है। यह आदेश कुछ उत्पादों पर पहले ही दिनांक 18.3.2016 से लागू हो गया है और बचे हुये उत्पादों पर यह आदेश दिनांक 18.9.2016 से लागू होगा। इसके बाद 3 स्टेनलैस स्टील उत्पादों को शामिल करते हुए दूसरा इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश दिनांक 10 जून, 2016 के राजपत्र अधिसूचना सं. एस.ओ. 2016 (ई) के तहत जारी किया गया।

(ख) और (ग): बीआईएस से उपलब्ध सूचना के अनुसार, उन्होंने 83 भारतीय मानकों के विरूद्ध बीआईएस स्टैण्डर्ड मार्क के उपयोग हेतु इस्पात और इस्पात उत्पादों के विनिर्माताओं को 2772 लाइसेंस प्रदान किए हैं।

(घ): इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ अधिदेशित है कि अधिसूचित इस्पात उत्पादों के सभी उत्पादकों को निर्धारित अवधि के अन्दर बी आई एस से लाइसेंस अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए ताकि वे अपने उत्पादों पर बीआईएस के स्टैण्डर्ड मार्क का उपयोग कर सकें। ये आदेश घरेलू उत्पादों के साथ-साथ आयातों पर समान रूप से लागू हैं।

***